रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम: विनीत वर्मा

पद : मुख्य प्रबंधक, बीएसडी

दिनांक : 18.10.2025

जगह : अयोध्या

## पट्टा आधार पर परिसर लेने हेतु निविदा प्रपत्र का प्रारूप

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या, **करेंसी चेस्ट सहित शाखा बस्ती हेतु** दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर समुचित परिसर के लिए अधिमानतः केवल भूतल पर ही 3500 से 4000 वर्ग फुट (±15%) कार्पेट फ्लोर एरिया के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। करेंसी चेस्ट के लिए परिसर की न्यूनतम छत की ऊँचाई 11 फीट होनी चाहिए। (करेंसी चेस्ट का सामान्य विवरण संलग्न है) बस्ती और उसके आसपास के परिसरों के इच्छुक स्वामियों/पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से, बस्ती, जिला बस्ती, बाजार क्षेत्र के भीतर स्थित, अधिमानतः भूतल पर, परिसर में उचित प्रवेश द्वार के साथ तथा 30 से 40 केवीए बिजली कनेक्शन और पार्किंग सहित सभी सुविधाओं के साथ होना चाहिए।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रारूप शाखा कार्यालय **बस्ती** और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या, देवकाली रोड, पारले बिस्कुट फैक्ट्री के पास , अयोध्या से कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा

बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in./Active tender **से डाउनलोड करें।**

### न्यूनतम प्री-क्वालिफिकेशन मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क . आवेदक(कों) परिसर का वास्तविक स्वामी अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होना चाहिए ;
ख. आवेदक आयकर निर्धारिती होना चाहिए, उसके पास पैन नंबर होना चाहिए तथा उसका कर रिटर्न अद्यतन होना चाहिए।
ग. सक्षम विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए । भवन का रखरखाव अच्छा होना चाहिए और वह 20 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
घ. परिसर उत्तम आवासीय/व्यावसायिक क्षेत्र में अवस्थित होना चाहिए, जो भूतल/प्रथम तल पर हो तथा जिस तक समुचित रूप से पहुँचा जा सके तथा जिसमें स्वयं के पार्किंग स्थान का प्रावधान उपलब्ध हो।
ड. भवन विशेष जोखिमों यथा आग, जलभराव, बाढ़ आदि से मुक्त होना चाहिए।
च. परिसर में 24 घंटे पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए तथा स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए।
छ. भवन स्वामी को नगर पालिका, निगमों तथा राजस्व प्राधिकरणों के सभी देयों तथा अन्य सांविधिक दायित्वों को चुका दिया गया होना चाहिए।

ज. परिसर को पट्टे पर देने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त परिसर का अधिभोग प्रमाण पत्र (अपार्टमेंट के मामले में) उपलब्ध होना चाहिए।
झ. भवन स्वामी इस स्थिति में हो कि वह बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक सुधारों/परिवर्तनों को करने के तुरंत बाद परिसर का खाली कब्जा दे सके।

**1.निविदा प्रस्तुत करने की विधि: निविदाएं केवल सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

**टेंडर कवर के तीन भाग होंगे।**

- **पहला लिफाफा** - तकनीकी बोली लिफाफा - इस लिफाफे में आवेदन का भाग I, बोलीदाता(ओं) द्वारा विधिवत भरा हुआ एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित होने चाहिए, साथ ही आवश्यक संलग्नक भी होने चाहिए। लिफाफा बंद और सीलबंद होना चाहिए तथा उस पर "**बस्ती शाखा/कार्यालय परिसर के लिए तकनीकी बोली** (अनुलग्नक 'ए' के अनुसार)" लिखा होना चाहिए। **इसके कवर पर बोलीदाता का नाम और पता भी लिखा होना चाहिए।**

- **दूसरा लिफाफा** - वित्तीय बोली लिफाफा - इस लिफाफे में आवेदन का भाग II होना चाहिए और सभी पृष्ठों पर बोलीदाता/दाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह लिफाफा बंद और सीलबंद होना चाहिए और उस पर "**बस्ती शाखा/कार्यालय परिसर के लिए वित्तीय बोली** (अनुलग्नक 'बी' के अनुसार)" लिखा होना चाहिए। **इसके कवर पर बोलीदाता/बोलीदाताओं का नाम और पता भी होना चाहिए।**

- **तीसरा लिफाफा** - पहले और दूसरे दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उसके ऊपर " **बस्ती शाखा/कार्यालय परिसर के लिए सीलबंद निविदा**" लिखा होना चाहिए और **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीएसडी विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या, देवकाली फैजाबाद यूपी 224001** को संबोधित किया जाना चाहिए.

2. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 को 16:00 बजे तक**

3. जमा करने का स्थान: **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा/कार्यालय बस्ती अथवा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या देवकाली फैजाबाद यूपी -224001, कार्यालयीन समय के दौरान**

4. बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि पर क्षेत्रीय कार्यालय, **अयोध्या** में खोली जाएंगी।

5. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा बैंक को निर्दिष्ट तिथि और समय से पहले प्राप्त हो जाए और डाक या किसी भी प्रकार के विलंब के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएँ अस्वीकार की जा सकती हैं और इसका निर्णय बैंक के एकल विवेकाधीन है।

6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और साथ ही किसी भी तकनीकी रूप से उपयुक्त बोलीदाता/बोलीदाताओं को आदेश प्रदान करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जो कि न्यूनतम बोलीदाता न हो, जैसा कि वह उपयुक्त तथा उचित समझे।

7. केवल शर्तरहित निविदाएँ ही स्वीकार की जाएँगी। कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। यदि कोई बोलीदाता वित्तीय निहितार्थ वाली कोई शर्त नहीं लगाना चाहता है, तो उसे निविदा को उचित रूप से लोड करना होगा और निविदा में कोई शर्त नहीं रखनी होगी।

8. बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी बोली निविदा में दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तावों को सूचीबद्ध करेगा, जैसे कि प्रस्तावित साइट का स्थान, प्रस्तावित परिसर का क्षेत्रफल, मुख्य सड़क से पहुंच, उपलब्ध पार्किंग स्थान, उपलब्ध कराई गई सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे (जैसे लिफ्ट, बैकअप डीजी सेट आदि ) और तकनीकी बोली में वर्णित अन्य जरूरी आवश्यकताएं।

9. तकनीकी बोली के आधार पर प्रस्तावों की संक्षिप्त सूची बनाने के बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी। वित्तीय बोली केवल उन्हीं संक्षिप्त सूची वाले प्रस्तावों के लिए भविष्य में खोली जाएगी और संक्षिप्त सूची वाले बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।

10. संभावित प्रस्ताव के चयन पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

11. विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा।

12. **किराया** : बैंक भवन स्वामी से कब्ज़ा लेने की तिथि से किराया देना शुरू कर देगा। कब्ज़ा लेने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भवन स्वामी ने उपयुक्त प्राधिकरणों से आवश्यक अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और भवन स्वामी द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन वास्तव में बैंक की संतुष्टि के अनुसार किए गए हैं। परिसर का संयुक्त माप फ्लोर एरिया के आधार पर लिया जाएगा।

13. **पट्टा दस्तावेजों का निष्पादन** : बैंक द्वारा परिसर को पट्टे पर लेने के बाद, बैंक के मानक पट्टा प्रारूप के अनुसार पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा और उसे उपयुक्त प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराया जाएगा। पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क का वहन भवन स्वामी और बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाएगा।

14. **भूतल पर स्थित परिसर के लिए, फ्लोर एरिया मुख्य पक्की सड़क से दो से तीन फीट ऊपर होना चाहिए।**

15. **परिसर में और उसके आसपास पानी की रुकावट नहीं होनी चाहिए।**

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,

मुख्य प्रबंधक

क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या